

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

पत्रांक-

1030


/411 (2021) / अधियाचन / 2021-22

दिनांक 27-07-2021

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 (2) में लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए केवल जिला मुख्यालयों पर ही केन्द्रों के निर्धारण की व्यवस्था दी गयी है। परन्तु विज्ञापन वर्ष 2021 की विज्ञापित के पैरा 9 में सभी मण्डल मुख्यालयों पर ही केन्द्रों के निर्धारण किये जाने का उल्लेख है जो त्रुटिपूर्ण है। सिविल अपील संख्या- 8300/2016 संजय सिंह व अन्य में दाखिल मिसलेनियस अप्लीकेशन नं0- 818/2021 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2021 द्वारा तदर्थ शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.10.2021 तक का अन्तिम अवसर दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, नियमावली 1998 के नियम 12 (2) में दी गयी व्यवस्था एवं कोविड 19 की समस्या को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन वर्ष 2021 के पैरा 9 "सभी मण्डल मुख्यालयों पर ही केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा" के स्थान पर हुए इसे "सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा" पढ़ा जाय।


27-07-2021
उपसचिव/परीक्षा नियन्त्रक
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।